

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुन्झुनू

पीठारीन अधिकारी :- श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान प्रभुदयाल बनाम मोहर सिंह वगैरह

दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 27/2022 पुराना मुकदमा नं. :- 45/2010

निर्णय दिनांक : 15/10/25

वकील वादी राजेन्द्र सिंह बुडानियां की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15/10/25 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम बड़ की ढाणी पटवार हल्का गुढागौड़जी की सरहद में खाता संख्या 82 के भूमि खसरा नम्बर 82, 83/1 रकबा 0.03 है, 4.63 है कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.66 है 0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3008 दिनांक 08.07.2022 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। बैंक रहन मुताबिक वर्तमान जमाबंदी के अनुसार बदस्तुर यथावत् रखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	6	योग	



(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू (राज.)